



Neutral Citation No - 2026:AHC:25274

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी संख्या - 2026 की 494

इकबाल एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : जय प्रकाश सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. श्री जय प्रकाश सिंह, विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त धारण करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री सीता राम यादव तथा राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बब्बन सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पुनरीक्षण संख्या 1877/2019 (कम्प्यूटर संख्या AL20190150001877) (अनवर बनाम इकबाल एवं अन्य) को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 333 के अधीन विहित समयावधि के भीतर विनिर्णीत करने का आदेश देने वाली परमादेश की रिट जारी करने की याचना करते हुए दाखिल की गई है।
3. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अधीन कार्यवाही से उद्भूत, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्तागण को विपक्षी पक्षकार के रूप में सम्मिलित करते हुए दाखिल पुनरीक्षण वर्ष 2019 से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लम्बित है। उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए कि वाद शीघ्रतापूर्वक प्रगति नहीं कर रहा है, लम्बित कार्यवाही की आदेश पत्रक भी प्रस्तुत की।
4. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त कार्यवाही को, सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः 3 माह की अवधि के भीतर, सम्बन्धित पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र तार्किक परिणति तक विनिर्णीत करे।

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सी.प्रकाश

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"